$5\frac{3}{24}$ अधिवक्तागण उपस्थित। बहस हेतु समय था। TI की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 07/03/24 को पेश हो।

$07\frac{03}{24}$ अधिवक्तागण उपस्थित। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 31/08/2020 को मूलवाद के निर्णय तक स्थायी किया जावे। अप्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण वादगत भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तीनो बिन्दु अर्थात प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष मे बनना पाये जाते है। लिहाजा [illegible] मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] 31/08/2020 को मूलवाद के निर्णय [illegible] किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:16:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)